2016 का विधेयक संख्यांक 303

[दि इंडियन पीनल कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016

भारतीय दण्ड संहिता 1860 का और संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 292 का संशोधन।

2. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 292 में, उप-धारा (2) में,—

"प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो कि दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि

की दशा में, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो कि पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 354 का संशोधन।

3. संहिता की धारा 354 में, ''वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा'' शब्दों के स्थान पर ''वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 354क का संशोधन।

4. संहिता की धारा 354क में,—

(क) उप-धारा (2) में, ''कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (3) में, ''वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी या दोनों से, दंडित किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 354ख का संशोधन।

5. संहिता की धारा 354ख में,—

''वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा''। शब्दों के स्थान पर ''वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 354ग का संशोधन।

6. संहिता की धारा 354ग में,—

''प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो नौ वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 354 घ का संशोधन।

7. संहिता की धारा 354घ में, उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2) जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा; और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।''।

8. संहिता की धारा 354घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 354ङ का अंत:स्थापन।

''354ङ धारा 292, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ या 509 के अन्तर्गत दंडनीय कोई कृत्य छेडछाड़ माना जाएगा और तदनुसार दंडित होगा।''। छेड़छाड़।

9. संहिता की धारा 376 में,— धारा 376 का संशोधन।

(क) उप-धारा (1) में, ''वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा''। शब्दों के स्थान पर ''चौदह वर्षों के कठोर कारावास से अथवा मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (2) में, ''वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा''। शब्दों के स्थान पर ''आजीवन कठोर कारावास अथवा मृत्यु से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. संहिता की धारा 376 क में,— धारा 376क का संशोधन।

''वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।'' शब्दों के स्थान पर ''आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. संहिता की धारा 376ख में,— धारा 376ख का संशोधन।

''दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।'' शब्दों के स्थान पर, ''दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. संहिता की धारा 376ग में,— धारा 376ग का संशोधन।

''दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।'' शब्दों के स्थान पर ''दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो आठ वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

13. संहिता की धारा 376घ में,— धारा 376घ का संशोधन।

''ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।'' शब्दों के स्थान पर ''आजीवन कठोर कारावास अथवा मृत्युदंड अथवा जुर्माने से दंडित किया जाएगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 376ङ का संशोधन।

14. संहिता की धारा 376 ङ में, ''आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।'' शब्दों के स्थान पर ''आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड अथवा जुर्माने से दंडित किया जाएगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 509 का संशोधन।

15. संहिता की धारा 509 में, ''सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''सादा कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से दंडित किया जाएगा।'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), 1860 के वर्तमान रूप में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जैसा कि भारतीय न्यायालयों ने माना है। यह भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बिखरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त छेड़छाड़ के संबंध में इन विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आने वाले अपराध जमानतीय और असंज्ञेय हैं। ये कानून भारत में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों में वृद्धि को रोकने में असफल रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों (एससीआरबी) आंकड़ों के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 2013 में 70,739 की तुलना में 2014 में 82,235 अर्थात् 16.3% की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार 2014 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के तकरीबन 3,37,922 मामले दर्ज किए गए थे। यह 2013 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में 2013 में दर्ज मामलों में 9.2% वृद्धि दर्शाता है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत हुए कुल अपराधों के अनुपात में 2014 में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों में 11.4% की वृद्धि हुई है।

आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न के अधिकांश कृत्यों की परिभाषा का विस्तार किया है। परंतु महिलाओं के विरुद्ध होने वाले पंजीकृत अपराधों में लगातार वृद्धि होती जा रही है।

इस प्रकार से यह संभावना बन गई है कि दण्डों के वर्तमान रूप और शर्तें व्यक्तियों को अपराध करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1980 के दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र की यह बात एक साक्ष्य है कि किसी अपराध के लिए दी जाने वाली सजा को बढ़ाने अथवा कठोर करने का संयुक्त राष्ट्र में अपराध की समग्र घटनाओं और अपराध दर में कमी द्वारा सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। यह सत्य है कि आपराधिक न्यायिक प्रणाली में निरोधक सिद्धांतों की प्रभावशीलता पर बहुत वाद-विवाद हुआ है। भारतीय संदर्भ में भी दण्ड को कड़ा बनाने की आवश्यकता है। इसलिए इस विधेयक का आशय संहिता के अन्तर्गत छेड़छाड़ को एक अपराध बनाने तथा महिलाओं के विरुद्ध किए गए विभिन्न अपराधों के लिए शास्ति बढ़ाने के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता, 1860 का संशोधन करना है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
4 नवम्बर, 2016
13 कार्तिक, 1938 (शक)

सुप्रिया सुले

उपाबंध

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में से उद्धरण

(1860 का संख्यांक 45)

* * * * * *

अश्लील पुस्तकों का विक्रय।

292. * * * * * *

(2) जो कोई,

* * * * * *

(ङ) प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा।

* * * * * *

स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

354. जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि एतद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि न्यूनतम एक वर्ष से पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

* * * * * *

लैंगिक उत्पीड़न।

'**354क**. (*1*) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात्:—

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों,; या

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने; या

(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाने; या

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने,

वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(*2*) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (*1*) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(*3*) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (*1*) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

354ख. ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

354ग. ऐसा कोई पुरुष, जो ऐसी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों के अधीन, जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दृश्यरतिकता।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''प्राइवेट कृत्य'' के अंतर्गत ऐसे किसी स्थान में देखने का कार्य किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां कि पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र के ढका जाता है अथवा जहां पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है; या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है।

जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा।

354घ. (*1*) ऐसा कोई पुरुष, जो— पीछा करना।

(i) किसी स्त्री को उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है; अथवा

(ii) जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलैक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करता है; अथवा

(iii) पीछा करने का अपराध करता है:

परन्तु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि वह पुरुष, जो ऐसा करता है, यह साबित कर देता है कि-

(i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था; या

(ii) ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था; या

(iii) विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था।

(*2*) जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा; और किसी द्वितीय पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

* * * * * * * *

376. (*1*) जो कोई, उपधारा (*2*) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बलात्संग के लिए दंड।

(*2*) जो कोई—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए–

(i) उस पुलिस थाने की, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर; या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में; या

(iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में,

किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ग) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा; या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा; या

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(च) स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा; या

(ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा; या

(झ) किसी स्त्री से, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा; या

(ञ) उस स्त्री से, जो सम्मति देने में असमर्थ है बलात्संग करेगा; या

(ट) किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ठ) मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रसित किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ड) बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा; या

(ढ) उसी स्त्री से बारबार बलात्संग करेगा,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

* * * * * * * *

पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशाकारित करने के लिए दंड।

376क. जो कोई, धारा 376 की उपधारा (*1*) या उपधारा (*1*) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसा कोई क्षति पहुंचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

* * * * * * * *

376ख. जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा, पृथक् रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।

* * * * * * * *

376ग. जो कोई,– प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।

(क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए; या

(ख) कोई लोक सेवक होते हुए; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए; या

(घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारिवृंद होते हुए,

ऐसा किसी स्त्री को, जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करते हेतु जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक को हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

* * * * * * * *

376घ. जहां किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक ही हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा: सामूहिक बलात्संग।

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जाएगा।

* * * * * * * *

376ङ. जो कोई, धारा 376 या धारा 376क या धारा 376घ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।'। पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड।

* * * * * * * *

509. शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है— जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

लोक सभा

———

भारतीय दण्ड संहिता 1860 का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

———

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—3718LS(S3)—07-12-2016.